

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2014—आश्विन 21, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

क्र. एफ ए 1-3-2014-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 में, अनुसूची में,—

- (1) शीर्षक “तीस—संस्कृति विभाग” के अधीन, भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय, में अनुक्रमांक 23 में, शब्द “तीर्थों, मेलों तथा” का लोप किया जाए.
- (2) शीर्षक “छः—धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग” के अधीन, भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में, अनुक्रमांक 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“11. तीर्थों तथा मेलों का परिरक्षण और संरक्षण”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

क्र. एफ ए 1-3-2014-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना, क्र. एफ ए 1-3-2014-एक-(1), दिनांक 13 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 13th October 2014

No. F A 1-3-2014-One-(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, In rule 2, In the Schedule,—

- (1) Under the heading “**XXX—Culture Department**”, In part (A), Matters of Policy dealt within the Department, in serial number 23, the words “**Pilgrimages, fairs and**” shall be omitted.
- (2) Under the heading “**VI—Religious Trusts and Endowments Department**”, In part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after the serial number 10, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

“**11. Preservation and Conservation of Pilgrimages and fairs**”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.